तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 1477 / 2005 / टीए / टोंक** **जगदीश बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री वी0पी0सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री शौकिन्दलाल गुर्जर, राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय **दिनांकः 1–10–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व आदेश भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक की अपील संख्या 94 / 2004 बउनवानी जगदीश बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 24–03–2005 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 84 व 86 विद्वान उपखण्ड अधिकारी टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर बिना प्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये एकतरफा कार्यवाही दिनांक 13–7–1994 को करते हुए एकतरफा निर्णय दिनांक 31–3–2004 को पारित कर प्रार्थी के विरूद्व 3,50,000 रू0 जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया जिसे उन्होंने सरसरी तौर पर दिनांक 22–7–2004 को खारिज कर दिया जिसके विरूद्व प्रार्थीगण ने अपील अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 24–3–2005 से अपील खारिज कर दी जिस निर्णय दिनांक 24–3–2005 से व्यथित होकर निगराकार / प्रार्थीगण ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी पर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

4– दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी / निगरानीकर्ता ने निगरानी मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 में एकतरफा कार्यवाही को निरस्त किये जाने बाबत पर्याप्त कारण अंकित किये थे साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम भी पेश कर देरी के कारण दर्शित किये थे परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कारणों एवं आधारों को मात्र एक लाईन में यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कारण संतोषजनक नहीं हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थीगण पर कोई केस साबित

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 1477 / 2005 / टीए / टोंक** **जगदीश बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुए बिना एवं बिना किसी ठोस साक्ष्य के प्रार्थीगण के हरे वृक्ष काटने का एकतरफा में दोषी करार देते हुए 3,50,000 रू0 जुर्माना आरोपित करने में भारी भूल की है जो कि कानून में वर्णित कानूनी प्रावधानों की घोर अवमानना है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया था जबकि स्वयं शिकायतकर्ता के ही कोई बयान नहीं लिये गये। परीक्षण न्यायालय ने उनके समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं होना मानने में भारी भूल की है जबकि आदेश 43 नियम 1 (डी) में स्पष्ट प्रावधान दिया हुआ है जिसके तहत अपील अपीलीय न्यायालय के समक्ष ही पोषणीय थी। दोनों न्यायालयों द्वारा प्रार्थीगण को जवाब, सुनवाई तथा साक्ष्य का अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं एकतरफा आदेश बहाल रखा तो प्रार्थीगण अपना केस न्यायालय के समक्ष नहीं रख सकेगे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 में वर्णित प्रावधानों को नजर अंदाज कर सरसरी तौर पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

5— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण / गैर निगराकार ने अभिभाषक निगराकार के तर्को का विरोध करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई दावा था ही नहीं, मात्र एक शिकायती प्रार्थना पत्र था जिसकी अपीलांट ने कोई पैरवी नहीं की तथा इस प्रकरण में सी0पी0सी0 का आदेश 9 नियम 13 लागू भी नहीं होता है क्योंकि यह एक प्रशासनिक आदेश है जिसकी अपील पोषणीय नहीं है। निगरानी में निगरानीकर्ता को कोस्ट के आधार पर जवाब / साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने में राजकीय अधिवक्ता ने सहमति जाहिर की। चूंकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित एवं कानून सम्मत है। इसलिए निगरानी खारिज की जावें। यदि निगरानी स्वीकार की जाती है तो भारी कोस्ट लगायी जावें।

6— उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7— विद्वान उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 22—7—2004 में अंकित किया है कि करीब 10 वर्ष पूर्व हुए एकतरफा आदेश को निरस्त करने के प्रार्थना पत्र में देरी का जो कारण अंकित किया गया है, वह संतोषजनक नहीं है।

8— अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24—3—2005 में अंकित किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / 1477 / 2005 / टीए / टोंक</u>** **जगदीश बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कि आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की अपील नहीं की जा सकती है। इसकी केवल निगरानी ही हो सकती है। अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि वह बीमार था।

9— पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 में प्रार्थीगण ने एकतरफा कार्यवाही के प्रार्थना पत्र दिनांक 26—6—2004 में विस्तृत विवरण लिखते हुए अंकित किया है कि प्रार्थीगण को एकतरफा आदेश होने का ज्ञान नहीं था। फिर भी कोई देरी हुई है तो वह माफ किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र तहत दफा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। प्रार्थीगण के इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि प्रार्थीगण को एकतरफा कार्यवाही के आदेश का ज्ञान नहीं था।

10— अपीलीय न्यायालय का यह कथन उचित नहीं है कि आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र की अपील नहीं की जा सकती है। आदेश 43 नियम 1 (डी) सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार उक्त आदेश की अपील का प्रावधान है।

11— अतः न्यायहित में रू0 1000/— कोस्ट पर निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किये जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, टोंक को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभयपक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधि अनुसार निस्तारण करें। उभयपक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16—10—2019 को उपस्थित रहने के लिए पाबन्द किया जाता है। कोस्ट की राशि प्रार्थी अप्रार्थी को विचारण न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी के दिन अदा करेगें। कोस्ट की राशि अदा नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश यथावत प्रभाव में रहेगा।

12— पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

13— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / 1477 / 2005 / टीए / टोंक** **जगदीश बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए